AR-820
26/7/22

कुल सचिव का कार्यालय
डाक प्राप्ति
संख्या 431
तिथि 26/7/22
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ-226007

संख्या-2009 /सत्तर-3-2022

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2022

विषयः-राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा के उपरान्त निम्नवत निर्देश प्राप्त हुए हैं :-

1. सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में नैक प्रत्यायन की प्रकिया शीघ्रताशीघ्र प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता है तथा विश्वविद्यालयों द्वारा लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों के नैक प्रत्यायन की प्रकिया प्रारम्भ की जाय, जिससे संस्थान की गुणवत्ता की स्थिति से विद्यार्थी भिज्ञ हो सकें तथा छात्र हित में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान का लाभ प्राप्त हो सके एवं शिक्षण संस्थानों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के विकास के माध्यम से शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके।
2. NIRF एवं Global ranking हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
3. उन्नत भारत अभियान के तहत अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोडे जाने एवं ग्रामीण विकास व स्थानीय आवश्यकताओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के संचालन पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है तथा शिक्षण संस्थानों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जाय।
4. आधुनिक विषयों यथा डिफेन्स स्टडीज, आर्टिफीशियल इन्टेलिजेन्स, इन्टरनेट ऑफ थिंक्स, ड्रोन तकनीक, साइबर सिक्योरिटी आदि विषयों को भी संचालित किये जाने की आवश्यकता है।
5. उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अंतः अनुशासनात्मक, स्थानीय मुद्दों/विषयों एवं सामाजिक, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक विषयों एवं Emerging Technology (उदीयमान प्रौद्योगिकी) पर गुणवत्तापूर्ण शोध कार्यों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।
6. सभी उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर लागू किया जाय।
7. प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन दर वृद्धि हेतु संस्थानों द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
8. शासकीय योजनाओं के मूल्यांकन में विश्वविद्यालयों द्वारा नियोजन विभाग का सहयोग किया जाना चाहिए।
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 मे परिकल्पित आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से छात्रों को सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक, तकनीकी एवं रोजगारपरक ज्ञान उपलब्ध कराया जाय।
10. शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी शैक्षिक संस्था में छद्म (प्रॉक्सी) शिक्षक कार्य न करे।
11. शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत नकल विहीन एवं शुचितापूर्ण परीक्षायें सम्पन्न करायी जायें तथा मूल्यांकन, शिक्षकों की क्षमता एवं नियुक्तियों में विशेष सुधार की आवश्यकता है।

GA-589
26/7/22

A.R.(Exams)
Dean (Academics) / AR(G-A)

Ray
23/7/2022

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कियान्वयन के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के आलोक में उक्त वर्णित निर्देशों का प्राथमिकता पर अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस० गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–2009 (1)/सत्तर–3–2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।

(4) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

AR(G.A)

कृ० पत्र निम्नोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया जाए :-

1- समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक इंचार्ज।

2- डीन एकेडमिक / प्रिंसिपल / आर० ए० सी०

3- इंचार्ज वेबसाइट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कर दिया जाए कि समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

कृ० आदेशार्थ

Neeraj 27/7/22 Pramod 27.7.22 SE 27.07.22